<u>भारत सरकार</u>

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या- 2431</u>

<u>दिनांक 09 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न</u>

विषय:- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम

2431. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार पशुओं को अनावश्यक पीड़ा तथा कष्ट से बचाने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का अब भी अनुपालन कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि पशुओं के प्रति क्रूरता के किसी भी कृत्य के लिए अधिनियम के अनुसार वर्तमान अर्थदण्ड केवल 10 रु. और 50 रु. के बीच है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस अधिनियम की समीक्षा करने की योजना बना रही है क्योंकि इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के छह दशकों में इसकी समीक्षा नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार पशुओं को अनावश्यक पीड़ा एवं कष्ट देने के लिए अर्थदण्ड तथा सजा में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

<u>उत्तर</u>

<u>मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री</u>

<u>(डॉ. संजीव कुमार बालियान)</u>

(क) जी हां।

(ख) और (ग) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के अनुसार प्रथम अपराध की दशा में जुर्माने से, जो दस रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा, में, जो पिछले अपराध के किए जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, जुर्माने से, जो पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपए तक का दण्ड या कारावास जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, अथवा दोनों दण्डों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 12 के अनुसार फूंका या दूम देव करने के लिये एक हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा या कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से दंडनीय होगा और वह जीव जन्तु जिस पर क्रिया की गई थी, सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 20 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) ,द्वारा दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता हैं, या उस धारा के अधीन (सीपीसीएसईए) द्वारा अधिरोपित किसी शर्त को भंग करता है; तो वह जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा और जब उल्लंघन या शर्त की भग्नता किसी संस्था में हुई हो, तब उस का भारसाधक व्यक्ति उस उपराध का दोषी समझा जायेगा और पदनुसार दण्डनीय होगा।

(घ) से (छ) सरकार ने और अधिक कड़े जुर्माने लगाकर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में सुधार करने की आवश्यकता को माना है। तैयार किए गए संशोधित प्रारूप में आर्थिक शास्तियों और दण्डात्मक उपबंधों को बढ़ाना शामिल है।

******